न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 319/23 (धारा 75 भू–राज0अधि01956) (RCMS No.2023/344)

आम जनता फुसोदा जरिये–

1. रूपनारायण पुत्र रामदयाल
2. महावीर पुत्र रामकिशोर
3. रामजीलाल पुत्र मोरपाल
4. रामधन पुत्र हरनाथ
5. गिरधारी पुत्र रामहेत
6. बंशी पुत्र रामरतन

जाति जाटान
निवासीयान पुसोदा
तहसील व जिलासवाईमाधोपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

1. रामदेवा पुत्र रामनारायण कुम्हार निवासी पुसोदा तहसील सवाईमाधोपुर।
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर।

..... रैस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर दिनांक 23.6.2016 व सिलसिले प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन रूल्स प्रकरण संख्या 10/2014 राज0 सरकार बनाम रामदेवा वगैरह।

उपस्थितिः–

1. श्री जगन्नाथ चौधरी वकील अपीलान्ट।
2. श्री सत्येन्द्र गोयल वकील रैस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः– 27.02.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 अति0 जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 23.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रैस्पो0 संख्या 1 रामदेवा को आराजी खसरा नम्बर 997/6 रकबा 5 बीघा वाकै ग्राम फुसोदा में दिनांक 05.11.1975 को भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित की गई थी। इस आवंटन दिनांक 05.11.1975 के संबध में आम जनता फुसोदा के द्वारा शिकायती पत्र उपजिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के समक्ष पेश किया गया। जिसे उपजिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा पत्रांक 2263 दिनांक 14.11.1980 से बतौर निगरानी अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर को वास्ते आवंटन निरस्तीकरण प्रेषित किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा उनके निर्णय दिनांक 10.08.1983 से निगरानी स्वीकार करते हुये निर्णय पारित किया कि आवंटी ने आवंटित कृषि भूमि काश्त नहीं की है, ना ही लगान जमा कराया है। इसके अतिरिक्त चारागाह भूमि बिना किस्म परिवर्तन कराये ही भूमि का आवंटन किया गया है, जो राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 तथा भूमि आवंटन नियम 4 के तहत वर्जित है

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

और निगरानी स्वीकार की जाकर अप्रार्थी/रैस्पोडेन्ट संख्या 1 रामदेवा के हक में किया गया आवंटन दिनांक 05.11.1975 निरस्त कर दिया था तथा भूमि का कब्जा पुनः राज्य सरकार के हक में लिये जाने के आदेश पारित किये गये। अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 10.08.1983 को रैस्पोडेन्ट संख्या 1 रामदेवा के द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के अपील में चुनौती दी गई। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा प्रकरण में निर्णय दिनांक 10.03.2014 पारित करते हुये निर्णय किया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर के निर्णय दिनांक 10.08.1983 की पालना लम्बे अर्से तक नहीं हुई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुये प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया और निर्देश दिये कि प्रकरण के तथ्यों के बारे में जांच कर अपीलान्ट/रैस्पोडेन्ट संख्या 1 को सुनवाई का अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रेषित किया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के इस रिमाण्ड आदेश दिनांक 10.03.2014 की पालना में तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2016 पारित करते हुये निर्णय पारित किया कि माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा आलौच्य प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 10.03.2014 में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में जांच की जाने पर पाया गया कि अप्रार्थी/रैस्पोडेन्ट संख्या 1 आवंटी रामदेवा को दिनांक 05.11.1975 को आवंटित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित वर्ग की श्रेणी में आने वाली भूमि प्रतिबंधित भूमि वर्ग की नहीं थी तथा तत्पश्चात जिला कलक्टर महोदय के आदेश की पालना में तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 34 दिनांक 10.06.1976 के अवैधानिक होने का भी कोई कारण विद्यमान नहीं है। ऐसी अवस्था में प्रार्थी/उपजिला कलक्टर सवाई माधोपुर का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अप्रार्थी/आवंटी रामदेवा के पक्ष में दिनांक 05.11.1975 को ग्राम फुसोदा की आराजी खसरा नम्बर 997/6 रकबा 5 बीघा (जिसके हाल खसरा नम्बर 1343 रकबा 0.66 व 1347 रकबा 0.60 है।) का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है। अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के इस अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2016 के खिलाफ अपीलान्टस आम जनता फुसोदा द्वारा यह अपील अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.06.2016 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट/प्रार्थी की ओर से उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को रैस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में हुए गलत आवंटन के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई थी। शिकायत की जॉच किये जाने परी आवंटन नियम विरूद्ध पाए जाने व अप्रार्थी की ओर से आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत रैस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 05.11.1975 को निरस्त किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसे अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने निर्णय दिनांक 17.08.1983 के द्वारा स्वीकार कर रैस्पोडेन्ट/अप्रार्थी के पक्ष में किये गये आवंटन को नियम विरूद्ध मानकर आवंटन खारिज किये जाने के आदेश दिये थे। अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 17.08.1983 के विरूद्ध रैस्पोडेन्ट/अप्रार्थी द्वारा अपील संख्या 228/11 रामदेवा बनाम सरकार के नाम न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी स0मा0 में की जिसका निर्णय दिनांक 10.03.2014 को किया। जिसे वापिस सुनवाई हेतु अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को प्रकरण भिजवाया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.06.2016 के द्वारा प्रार्थी/अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत 14(4) संबंधी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अप्रार्थी/रैस्पोडेन्ट के पक्ष में किये गये आवंटन को बहाल किये जाने का आदेश दिया है, जो कि नियम विरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है, क्योंकि अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने उपजिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से प्रस्तुत 14(4) संबंधी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का सही रूप से विवेचन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलान्ट व अन्य ग्रामवासियों के द्वारा उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत शिकायत की जॉच किये जाने पर शिकायत में वर्णित तथ्य सही पाये जाने के बाद ही उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर ने अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में 14(4) संबंधी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिसके आधार पर अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा निर्णय दिनांक 10.08.1983 द्वारा आवंटन नियम विरूद्ध होने के कारण उक्त आवंटन को निरस्त कर दिया था। अतिरिक्त जिला कलक्टर ने दिनांक 23.06.2016 को पारित निर्णय में इसके बारे में कोई विवेचन नहीं किया। वरन् मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण में वस्तुस्थिति यह है कि रैस्पोडेन्ट/अप्रार्थी रामदेवा को आवंटित आराजी खसरा नम्बर 997/6 रकबा 5 बीघा भूमि की किस्म वक्त आवंटन चारागाह थी तथा चारागाह भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किये जाने पर प्रतिबन्ध है। इसके बाबजूद भी आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी/रैस्पोडेन्ट को ग्राम फुसोदा में खसरा नंबर 997/6 रकबा 5 बीघा का आवंटन दिनांक 05.11.1975 को नियम विरूद्ध किया गया था। इसके अलावा आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर काश्त नहीं करने व लगान जमा नहीं कराये जाने के कारण भी अपीलाधीन आवंटन निरस्त किया गया था, परन्तु उपरोक्त तथ्यों पर अदालत मातहत ने पुनः निर्णय करते वक्त न तो ध्यान दिया और न ही कोई विवेचन किया। जबकि अदालत मातहत में प्रस्तुत रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि आवंटित भूमि पर अप्रार्थी/रैस्पोडेन्ट द्वारा कभी भी काश्त नहीं की गई, बल्कि उक्त जमीन पर स्वर्ण जाति के व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर काश्त की जा रही है। अदालत मातहत ने इस बिन्दु पर भी ध्यान नहीं दिया कि रैस्पोडेन्ट/अप्रार्थी को आवंटित भूमि की किस्म चारागाह होने के कारण बिना किस्म परिवर्तन के भूमि आवंटित नहीं की जा सकती है, क्योंकि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

1957 की धारा 16 आर टी एक्ट तथा भूमि आवंटन नियम 4 के तहत चारागाह भूमि का आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ वर्जित है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में नामान्तरकरण संख्या 34 दिनांक 10.06.1976 का हवाला देते हुये निर्णय पारित किया है, जो गलत है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने जब स्वयं यह माना है कि किस्म परिवर्तन सन 1976 में हुआ है तथा उक्त आराजी का आवंटन 05.11.1975 को हुआ है। आवंटन के वक्त उक्त भूमि चारागाह होना अपने आप साबित है, इसके बाबजूद अधीनस्थ न्यायालय के अपना निर्णय मनमाने ढंग से किया है, जो निरस्त योग्य है। इस संबंध में वकील अपीलान्ट ने राजस्व ग्रुप–6 नियम क्रमांक 10(3) राज0 6/2001/15 जयपुर दिनांक 17.04.2013 के द्वारा जारी परिपत्र का हवाला देते हुए उल्लेख किया कि उक्त परिपत्र में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नम्बर 1132/2011@एसएलपी(सी) नम्बर 3109/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 में चारागाह भूमि/जोहड पायतन और तालाबों की भूमियों में से निजी अथवा व्यवसायिक उपयोग के लिये दी गई भूमियों अर्थात किये गये आवंटनों को अवैध माना है। उक्त परिपत्र में यह उल्लेख है कि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 7 के प्रावधान के अनुसार विहित सीमा 4 हैक्टेयर तक चारागाह भूमि का आवंटन जिला कलक्टर राजकीय विभागों को जनहितार्थ के लिए करने में सक्षम हैं, परन्तु चारागाह भूमि का वर्गीकरण नियमानुसार करने पर जिला कलक्टर उस गांव में अनाधिवासित कृषि योग्य सरकारी भूमि यदि उपलब्ध है तो उसके बराबर क्षेत्र चारागाह भूमि के रूप में पृथक रख सकेगा। उपरोक्त प्रकरण में अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के विपरित अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इसके अलावा दिनांक 11.12.2013 के द्वारा उपजिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के आदेश कमांक राजस्व/621 दिनांक 30.07.2012 एवं तहसीलदार के आदेश द्वारा नामान्तरकरण संख्या 470 दिनांक 09.04.1984 की पालना में सम्पूर्ण खाता संख्या 1343, 1347 किता 2 रकबा 1.26 खातेदारी के बजाये गैर मुमकिन चारागाह दर्ज स्वीकार हुआ इन तथ्यों की ओर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया इस कारण अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। साविक खसरा नम्बर 997/16 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1343 व 1347 तालाबी भूमि है, जिसमें तालाब का पानी भरा रहता है तथा उक्त भूमि तालाब की पाल के नीचे स्थित है, जो गांव के जानवरों को पानी पीने व पानी सूखने पर जानवरों को चरने के काम आती है इस कारण यह जनहित का मामला होने के कारण उक्त अपील आम जनता की ओर से प्रस्तुत की गई है। अपील पेश किये जाने की अनुमति हेतु सीपीसी की धारा 96 के तहत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अपीलाधीन निर्णय के बारे में अपीलान्ट को दिनांक 08.11.2019 को पटवारी हल्का के माध्यम से जानकारी होने पर निर्णय की नकल हेतु आवेदन किया गया। जिस पर नकल दिनांक 20.11.2019 को प्राप्त होने पर जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील पेश की गई है। अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी पेश किया गया है। जिसका रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब या काउन्टर शपथ पत्र पेश

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर
संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

नहीं किया गया। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.06.2016 निरस्त किया जावे तथा रैस्पोडेन्ट/अप्रार्थी के पक्ष में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 05.11.1975 को किये गये चारागाह भूमि के आवंटन को निरस्त किये जाने के आदेश दिये जावें।

अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए रैस्पोडेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस पेश करते हुए तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित होने के कारण इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर एवं राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय लैण्ड रैवन्यू एक्ट व आवंटन नियमों के मुताबिक उभयपक्ष को सुनकर विधिसम्मत तरीके से पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है। उक्त अपील इस आधार पर ही खारिज किये जाने योग्य है कि आवंटन आदेश में वर्णित खसरा नंबर 1120, 1121, 1343 व 1347 कुल किता 4 रकबा 1.79 है0 भूमि वर्तमान में जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 तक ग्राम फूसौदा के खाता संख्या 2 पर अजय सिंह पुत्र प्रकाश, अनिरूद्ध पुत्र प्रकाश के नाम 1/2, 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजीयात को अजय सिंह व अनिरूद्ध पुत्रान प्रकाश ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.08.2017 से क्रय की है तथा प्रतिफल राशि देकर मौके पर कब्जा लिया है। तब से लेकर आदिनांक तक अजय सिंह व अनिरूद्ध काबिज रहकर लाभान्वित होते चले आ रहे हैं। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड नामान्तकरण के जरिये खातेदारी प्राप्त की है तथा अपीलान्ट ने बिना राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी का अवलोकन किये ही अदालत हाजा में अपील पेश की है। इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मिसजाइन्डर आफ पार्टीज का नुक्स होने से खारिज किये जाने योग्य है। वकील रैस्पोडेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि उक्त प्रकरण में रैस्पोडेन्ट ने दिनांक 05.11.1975 को भूमि की किस्म राज परिवर्तित होने व आवंटन हेतु उद्घोषणा जारी होने के बाद आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष भूमि आवंटित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिस पर आवंटन सलाहकार समिति ने पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की जिसमें पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में वरवक्त आवंटन भूमि का बारानी 3 बताया तथा आवंटन के प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के संबंध में अपनी रिपोर्ट बनाकर आवंटन सलाहकार समिति को प्रस्तुत की जिस पर आवंटन सलाहकार समिति ने अन्य प्रार्थना पत्रों के साथ-साथ प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर विचार कर प्रार्थी को आवंटन का पात्र मानकर आवंटित करने की सिफारिश की जिसके आधार पर प्रार्थी/रैस्पोडेन्ट को आवंटन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा विवादित भूमि का आवंटन किये जाने का आदेश जारी किया। उक्त आदेश जारी होने के बाद पटवारी हल्का ने प्रार्थी/रैस्पोडेन्ट को आवंटित भूमि का कब्जा सुपुर्द किया जो आज भी बदस्तूर जारी है। अपीलान्ट ने रंजिशवश अदालत हाजा में अपील पेश की है, जो कि खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.03.2014 के विरूद्ध अदालत हाजा में अपील पेश की है। जबकि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत राजस्व अपील

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर 27.2.2024

प्राधिकारी सवाई माधोपुर की ओर से पारित आदेश के विरूद्व अपील सुनने का क्षेत्राधिकार माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को है। जबकि अपीलान्ट अदालत हाजा में अपील पेश कर उक्त आदेश को निरस्त करवाना चाहता है। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अदालत हाजा को सुनवाई का अधिकार नहीं होने के कारण भी उक्त अपील खारिज किये जाने योग्य है। यदि अपीलान्ट उक्त आदेश से संतुष्ट नहीं थे तो उनकों राजस्व मण्डल में अपील करनी चाहिए थी, जो उनके द्वारा नहीं की गई। इस आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) संबंधी कार्यवाही खातेदार अधिकार प्राप्त किये जाने से पूर्व की जा सकती है। एक बार खातेदार अधिकार मिल जाने के बाद 14(4) प्रार्थना पत्र के नियम निष्प्रभावी हो जाते हैं। यदि कोई पक्षकार व्यथित है तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत हक व अधिकार अर्जन किये जा सकते हैं। 14(4) संबंधी प्रार्थना पत्र में कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। वकील रैस्पोडेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि आवंटन पत्रावली में संलग्न खसरा गिरदावरी सम्वत् 2032 से 2035 में खसरा नंबर 997/6 किस्म बारानी का अंकन है तथा आवंटन के वक्त हल्का पटवारी की रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा किये गये सत्यापन में भी भूमि की किस्म बारानी दर्ज है। आवंटी को आवंटित भूमि के हाल खसरा नंबर 1343 व 1347 बने हैं। जिन पर काबिज रहकर काश्त की गई थी। इसके बाद कानूनी प्रावधानों के तहत भूमि का विक्रय किया गया था। इस आधार पर अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 23.06.2016 व राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 10.03.2014 के विरूद्ध वर्ष 2020 में अपील पेश की गई है, जो लगभग 6 वर्ष पश्चात अर्थात् 72 माह बाद पेश की गई है। अपीलान्ट की ओर से दफा 5 के प्रार्थना पत्र में भी विलम्ब के संबंध में कोई कारण नहीं बताया गया है। इसलिए मियाद संबंधी बिन्दु पर भी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.06.2016 जो कि राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.03.2014 की पालना में पारित किया गया है, को यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.06.2016 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 21.12.2019 को मियाद बाहर अपील पेश किये जाने पर मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मीमो आफ अपील के साथ पेश किया है। जिसमें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 08.11.2019 को पटवारी हल्का के बताए जाने पर होने पर अपीलाधीन निर्णय की

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

नकल दिनांक 20.11.2019 को प्राप्त होने का उल्लेख करते हुए निर्णय प्राप्त होने के अन्दर मियाद अपील पेश करने का उल्लेख किया गया है। इसके समर्थन में शपथ पत्र भी पेश किया गया है। रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का कोई जवाब पेश किया है और न ही किसी प्रकार का कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया गया। वरन् अदालत हाजा में प्रस्तुत लिखित बहस में यह उल्लेख किया गया है कि अपीलान्ट द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.06.2016 व राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 10.03.2014 के विरूद्ध 6 वर्ष पश्चात 72 माह के विलम्ब से अपील पेश की है। इसलिए उक्त अपील को मियाद संबंधी बिन्दु पर खारिज किया जावे, परन्तु उक्त लिखित बहस में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि अपीलानट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी किस माध्यम से कब हुई और न ही अपीलान्ट की ओर से दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित इस तथ्य की पटवारी हल्का के कहने पर उन्हें अपीलाधीन निर्णय के बारे में 08.11.2019 को जानकारी हुई, के विपरित कोई शपथ पत्र या दस्तावेज ही प्रस्तुत किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक के पूर्व से अपीलाधीन निर्णय के बारे में जानकारी रही हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर अविश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। इसके अलावा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि अपीलीय न्यायालय को मियाद संबंधी बिन्दु पर अपील को खारिज किये जाने से बचना चाहिए तथा तकनीकी बिन्दु पर अपील को खारिज नहीं करना चाहिए। इस आधार पर भी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के आधार पर अपील को अन्दर मियाद माना जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो यह सही है कि उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा जिलाधीश सवाई माधोपुर के न्यायालय में रैस्पोडेन्ट/अप्रार्थी के पक्ष में खसरा नंबर 997/6 रकबा 5 बीघा के दिनांक 05.11.1975 को किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने बाबत दिनांक 14.11.1980 को प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया था कि आम जनता फूसौदा की ओर से प्राप्त प्रार्थना पत्र की जॉच किये जाने पर पाया गया कि ग्राम फूसौदा में आवंटन से पूर्व चारागाह का कुल रकबा 219/17 बिस्वा है और गांव में मवेशियों की संख्या 808 है। गांव के मवेशियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए 404 बीघा चारागाह भूमि होना आवश्यक है। गांव के चारों ओर गंभीर नदी बहती है, बरसात में पानी आने के कारण गांव में चारों तरफ पानी भर जाता है और इस कारण से चारागाह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां सदैव जानवर खड़े रहते हैं। चारागाह भूमि आवंटन व किस्म परिवर्तन रिकार्ड से यह पाया गया कि आवंटी को बिना किस्म परिवर्तन किये ही भूमि आवंटित की गई है, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 57 तथा भूमि आवंटन नियम 4 के प्रावधानों की आवंटन समिति द्वारा पालना

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

नहीं की गई है। पटवारी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी की रिपोर्ट के अनुसार आवंटन के पश्चात आवंटी द्वारा काश्त नहीं किये जाने के कारण आवंटन नियमों की अवहेलना भी किये जाने के कारण अप्रार्थी/रैस्पोडेन्ट के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने की अभिशंषा की गई। उक्त पत्रावली जिला कलक्टर न्यायालय से अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय को स्थानान्तरित किये जाने के बाद दर्ज रजिस्टर कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर देने के बाद अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने निर्णय दिनांक 10.08.1983 के द्वारा रैस्पोडेन्ट/अप्रार्थी के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने का आदेश दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध रैस्पोडेन्ट/अप्रार्थी के द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के न्यायालय में अपील पेश किये जाने पर राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर ने आदेश दिनांक 10.03.2014 के द्वारा नामान्तकरण संख्या 34 दिनांक 04.06.1976 से खसरा नंबर 997 रकबा 40 बीघा 3 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि को चारागाह से सिवायचक दर्ज किये जाने के कारण उपखण्ड अधिकारी द्वारा चारागाह भूमि माने जाने को गलत मानकर प्रकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर के निर्णय दिनांक 10.08.1983 की पालना लम्बे अरसे से नहीं हुई है। अतः उक्त निर्णय को अपास्त कर प्रकरण पुनः निर्णय हेतु रिमाण्ड किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 10.03.2014 के क्रम में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2016 को पारित किया है। जिसमें यह माना है कि वक्त आवंटन अपीलाधीन भूमि चारागाह नहीं होकर बारानी थी। निर्णय में नामान्तकरण संख्या 34 जो कि दिनांक 10.06.1976 को खोला गया है, के संबंध में भी यह उल्लेख किया गया है कि उक्त नामान्तकरण अवैधानिक हो ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इस आधार पर अप्रार्थी/रैस्पोडेन्ट के पक्ष में दिनांक 05.11.1975 को आवंटित की गई भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित वर्ग की श्रेणी में आने वाली प्रतिबंधित भूमि वर्ग में नहीं मानकर अपीलान्ट/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को रैस्पोडेन्ट/अप्रार्थी के पक्ष में दिनांक 05.11.1975 को किये गये आवंटन को यथावत रखे जाने का आदेश दिया है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में अपील पेश की गई है। ऐसी स्थिति में वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से लिखित बहस में प्रस्तुत यह आपत्ति की अपीलान्ट की ओर से राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.03.2014 के विरूद्ध अदालत हाजा में अपील पेश की गई है, सारहीन हो जाती है, क्योंकि राजस्व अपील प्राधिकारी की ओर से निर्णय दिनांक 10.03.2014 में अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा पारित पूर्व आदेश दिनांक 10.08.1983 को निरस्त कर यह निर्देश दिए थे कि निर्णय में वर्णित तथ्यों के बारे में जॉच कर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करें। उक्त निर्णय की पालना में जो आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 23.06.2016 को पारित किया गया है, उस आदेश की अपील अदालत हाजा में मेन्टनेबल नहीं है। इस तरह का कोई प्रावधान

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से नहीं बताया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पारित किये गये निर्णय की अपील उक्त अधिनियम की धारा 76 के तहत अदालत हाजा में ही मेन्टनेबल है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो उपरोक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत पत्र दिनांक 14.11.1980 के बिन्दु संख्या 5 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि चारागाह भूमि आवंटन व भूमि की किस्म परिवर्तन रिकार्ड से यह भी पाया गया है कि आवंटी को बिना किस्म परिवर्तन किये भूमि का आवंटन किया गया है। यह सही है कि नामान्तकरण संख्या 34 दिनांक 04.06.1976 से खसरा नंबर 997 की 40 बीघा 3 बिस्वा भूमि को चारागाह से सिवायचक दर्ज किया गया है। किस्म परिवर्तन किये जाने संबंधी उपरोक्त नामान्तकरण रैस्पोडेन्ट/अप्रार्थी के पक्ष में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा रैस्पोडेन्ट को विवादित भूमि का किये गये आवंटन दिनांक 05.11.1975 के बाद का है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर के स्तर से यह जॉच होना भी आवश्यक था कि दिनांक 05.11.1975 को जब रैस्पोडेन्ट/अप्रार्थी को खसरा नंबर 997 में से 5 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। उस दिन उक्त भूमि की किस्म चारागाह थी या सिवायचक, क्योंकि अप्रार्थी/रैस्पोडेन्ट की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 34 दिनांक 05.06.1976 की प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पटवारी हल्का द्वारा उक्त नामान्तकरण दिनांक 29.04.1976 को अर्थात् रैस्पोडेन्ट/अप्रार्थी को विवादित भूमि के आवंटन दिनांक 05.11.1975 के बाद खोला गया है। इस नामान्तकरण में भी यह उल्लेख नहीं है कि किस्म परिवर्तन कब किया गया है, क्योंकि उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वक्त आवंटन भूमि की किस्म चारागाह होने व उक्त आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 व आवंटन नियम 4 के प्रावधानों के विपरित होना बताया गया है। अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा इस संबंध में कोई जॉच अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व नहीं की गई। जहां तक विवादित भूमि की खातेदारी प्राप्त होने व उक्त भूमि को अन्य व्यक्तियों को विक्रय किये जाने का प्रश्न है तो अवैध व नियम विरूद्ध किये गये आवंटन को कभी भी निरस्त किया जा सकता है। उपरोक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में रैस्पोडेन्ट को आवंटित भूमि की किस्म चारागाह होने व चारागाह भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 व आवंटन नियम के नियम 4 के तहत कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन विवर्जित होने के कारण उक्त आवंटन को निरस्त किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर ने भी अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को निर्णय दिनांक 10.03.2014 में पूर्ण तथ्यों की जॉच करने के बाद निर्णय पारित करने के निर्देश दिए थे, परन्तु अतिरिक्त जिला कलक्टर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.06.2016 में केवल नामान्तकरण संख्या 34 दिनांक 10.06.1976 को आधार मानकर रैस्पोडेन्ट

न्यायालय संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर ★

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

के पक्ष में किये गये आवंटन को उचित माना है, जो कि उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.06.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का पर्याप्त अवसर देते हुए इस तथ्य की जॉच करें कि ग्राम फूसोदा के आराजी खसरा नंबर 997/6 रकबा 5 बीघा (जिसके हाल खसरा नंबर 1343 रकबा 0.66 व 1347 रकबा 0.60 हैं) आवंटन दिनांक 05.11.1975 को किस्म चारागाह थी या सिवायचक भूमि थी ? यदि बाद जॉच यह पाया जाता है कि आवंटन दिनांक 05.11.1975 को रैस्पोडेन्ट/अप्रार्थी को आवंटित भूमि की किस्म सिवायचक थी तो आवंटन सलाहकार समिति की ओर से दिनांक 05.11.1975 को किये गये आवंटन को बहाल रखा जावे, परन्तु जॉच में यदि यह तथ्य सामने आता है कि आवंटन की दिनांक को रैस्पोडेन्ट/अप्रार्थी को आवंटित भूमि की किस्म चारागाह थी तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16, आवंटन नियम के नियम 4 व राज्य सरकार की ओर से जारी परिपत्र दिनांक 17.04.2013 में दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का परीक्षण कर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 27.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2024

(साँवर मल) वर्मा
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर